

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
पूरनसिंह बनाम पोखर
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 447/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>पूरनसिंह शणा</u></p> <p>पिता श्री <u>रतनसिंह राजपूत 110 भेरडा रोड कुष्णा नगर</u></p> <p>निवासी <u>चन्देरिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>आमोलिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>607/510</u> (<u>प.ह.बडोदिया</u>) <u>609/511</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>0.8300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>आमोलिया (प.ह.बडोदिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>607/510, 609/511</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>0.8300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>30</u> (<u>रामचन्द्र खटीक</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>